VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 7.6.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

LIBERALISATION, PRIVATISATION AND GLOBALISATION: AN APPRAISAL

LIBERALISATION

As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities became major hindrances in growth and development. Liberalisation was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. Though a few liberalisation measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. Let us study some important areas, such as the industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange markets and trade and investment sectors which received greater attention in and after 1991. जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, नियम और कानून जो आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से थे, विकास और विकास में प्रमुख बाधा बन गए। उदारीकरण को इन प्रतिबंधों को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए पेश किया गया था। हालांकि 1980 के दशक में औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात-आयात नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश के क्षेत्रों में कुछ उदारीकरण के उपाय शुरू किए गए थे, 1991 में शुरू की गई सुधार नीतियां अधिक व्यापक थीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी मुद्रा बाजार और व्यापार और निवेश क्षेत्रों का अध्ययन करें, जिन पर 1991 के बाद और अधिक ध्यान दिया गया।

Deregulation of Industrial Sector: In India, regulatory mechanisms were enforced in various ways (i) industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced (ii) private sector was not allowed in many industries (iii) some goods could be produced only in small-scale industries, and (iv) controls on price fixation and distribution of selected industrial products. औद्योगिक क्षेत्र का नियमन: भारत में, विनियामक तंत्रों को विभिन्न

तरीकों से लागू किया गया (i) औद्योगिक लाइसेंसिंग जिसके तहत प्रत्येक उद्यमी को एक फर्म शुरू करने, एक फर्म को बंद करने या उत्पादित होने वाले माल की मात्रा तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी (ii) कई उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी गई थी (iii) कुछ सामानों का उत्पादन केवल लघु उद्योगों में किया जा सकता था, और (iv) मूल्य निर्धारण और चयनित औद्योगिक उत्पादों के वितरण पर नियंत्रण।

The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories — alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals. The only industries which are now reserved for the public sector are a part of defence equipment, atomic energy generation and railway transport. Many goods produced by small-scale industries have now been dereserved. In many industries, the market has been allowed to determine the prices. 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों ने इनमें से कई प्रतिबंधों को हटा दिया। औद्योगिक लाइसेंसिंग को लगभग सभी लेकिन उत्पाद श्रेणियों - शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और ड्रग्स और फार्मा-सीरियल्स के लिए समाप्त कर दिया गया था। एकमात्र उद्योग जो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन का एक हिस्सा हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित कई सामान अब व्युत्पन्न हो गए हैं। कई उद्योगों में, बाजार को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

Financial Sector Reforms:

Financial sector includes financial institutions, such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by the Reserve Bank of India (RBI). You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI. The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rates, nature of lending to various sectors, etc. One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय संस्थान, जैसे वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको ज्ञात हो कि भारत के सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान RBI के विभिन्न मानदंडों और नियमों के माध्यम से विनियमित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने

पास कितनी धनराशि रखता है, ब्याज दरें तय करता है, विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने की प्रकृति आदि को तय करता है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य नियामक की सुविधा के लिए नियामक से RBI की भूमिका को कम करना है क्षेत्र। इसका मतलब है कि वित्तीय क्षेत्र को आरबीआई से परामर्श के बिना कई मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी जा सकती है।

The reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. Foreign investment limit in banks was raised to around 74 per cent. Those banks which fulfil certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalise their existing branch networks. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interests of the account-holders and the nation. Foreign Institutional Investors (FII), such as merchant bankers, mutual funds and pension funds, are now allowed to invest in Indian financial markets सुधार नीतियों के कारण निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना हुई, साथ ही विदेशी भी। बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर लगभग 74 प्रतिशत कर दिया गया। जो बैंक कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें आरबीआई की मंजूरी के बिना नई शाखाएं स्थापित करने और अपने मौजूदा शाखा नेटवर्क को तर्कसंगत बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। यद्यपि बैंकों को भारत और विदेशों से संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ प्रबंधकीय पहलुओं को आरबीआई के साथ खाताधारकों और राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए बरकरार रखा गया है। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), जैसे व्यापारी बैंकर, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड, को अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति है।